न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी—श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या—72 / 2022
निर्णय दिनांक — 14.08.2024
GCMS No.- 2022/101

1. धीसाराम पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी कस्बा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. सन्ना देवी पत्नी हुकमाराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
3. राजकुमार पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी ग्राम ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..................वादी

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र नारायण जाति ढ़ोली निवासी ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. भागीरथ पुत्र नारायण जाति ढ़ोली निवासी ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. सन्तोष पुत्री मोहनलाल जाति ढ़ोली निवासीनी ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ (चूरू)

.......प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थितः—

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राज पैरोकार उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला चूरू

—: निर्णय :—

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग का खेत खसरा संख्या 807 रकबा 3.7555 हैक्टेयर भूमि वाके रोही बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादगत भूमि में वादीगण का क्रमशः 550811 / 3717945, 101 / 297 व 5058 / 37555 हिस्सा नियत है। जिसके विभाजन हेतु वादीगण ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादीके हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस एकपक्षीय विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 807 रकबा 3. 7555 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ढ़ाणी बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमिखेत खसरा संख्या 807 रकबा 3.7555 हैक्टेयर भूमि वाके रोही बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादीगण का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार खसरा संख्या 807 मिन क्रमशः रकबा 0.5510, 1.2715 व 0.5002 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
इजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

घीसाराम आदि बनाम मनोहरलाल आदि

राजस्ववादसंयुक्त खातेदारीविभाजन

मुकदमा न0 72 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एड़. .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमिखेत खसरा संख्या 807 रकबा 3.7555 हैक्टेयर भूमि वाके रोही बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादीगण का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार खसरा संख्या 807 मिन क्रमशः रकबा 0.5510, 1.2715 व 0.5002 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **14 माह 08 2024**

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरु, सत्यमेव जयते)

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवज़हसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़